8

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3482–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–8–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 291/अ–68/13–14.

.....

हुसैन पुत्र बाबूखां, निवासी बिजावर,
तहसील बिजावर, जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-11-15 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3482–एक/14 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में तहसीलदार बिजावर,

जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक–291/अ–68/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13–8–14 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । तहसीलदार बिजावर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अपने न्यायालय में निगराकार के विरूद्ध ग्राम बिजावर की शासकीय भूमि खसरा नंबर 531/1 रकबा 0.712 आरे में से 0.006 आरे पर ढाबा बना कर अतिक्रमण करने का प्रकरण दर्ज किया गया है । पूर्व में तहसीलदार बिजावर के प्रकरण कमांक 374/अ–68/12–13 में निगराकार हुसैन एवं एक अन्य व्यक्ति (हल्काई) के संबंध में पारित आदेश दिनांक 20–8–13 में यह लिखा है कि निगराकार द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व के खसरा नंबर 513/3 पर निर्माण किया जा रहा है, ना कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 513/3 पर निर्माण किया जा रहा है, ना कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 513/1 पर । इसके लगभग एक वर्ष बाद पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12–8–2014 में पुनः निगराकार हुसैन का शासकीय भूमि खसरा नंबर 531/1 के 0.006 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा पाए गए होने के संबंध में लिखा है।

3/ प्रकरण में विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गए एवं शासकीय अभिभाषक के लेखी तर्क पढ़े गए । प्रकरण के अभिलेखों के अवलोकन से एवं तर्कों पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट है कि दिनांक 13–8–14 के आक्षेपित आदेश से तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज करके निगराकार को केवल कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है । इसके बाद दिनांक 14–10–14 तक तहसीलदार के समक्ष जवाब, साक्ष्य आदि की कार्यवाही चली, एवं 17–10–14 से राजस्व मण्डल के इस प्रकरण का संदर्भ लेकर पहले स्थगन और फिर अभिलेख प्रेषण संबंधी कार्यवाही की गई है ।

4/ जहां तक पूर्व में निगराकार का शासकीय सर्वे नंबर 531/1 पर कब्जा नहीं पाए जाने का प्रश्न है, तो वह विषयांकित पटवारी प्रतिवेदन से लगभग एक वर्ष पूर्व का आदेश है, जिस अवधि के दौरान निगराकार द्वारा विषयांकित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नए सिरे से किया गया हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

5/ प्रकरण अभी तहसीलदार के समक्ष प्रकियाधीन है, एवं निगराकार को वहां पक्ष समर्थन, साक्ष्य, कूट परीक्षण आदि का अवसर उपलब्ध है । वैसे भी आक्षेपित आदेश दिनांक 13–8–14 मात्र प्रकरण दर्ज करने एवं कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने से संबंधित अंतरिम आदेश है, जो केवल प्रकिया से संबंधित है, पक्षकार के हितों से नहीं ।

6/ उपरोक्त के प्रकाश में मैं यह राजस्व मण्डल का निगरानी प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज करते हुए समाप्त करता हूँ तथा तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि इस न्यायालय के

निगराकार हुसैन को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए अपने समक्ष के प्रकरण में बोलता हुआ निर्णय पारित करें । दा0द0 हो । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जाए ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर